

**ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के
लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024**

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पंचायत उलांसा में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री हरी सिंह	01-04-2022 से 31.03.2024

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजीत सिंह	01.04.2022 से 06.05.2023
2.	श्री राकेश कुमार	07.05.2023 से 17.11.2023
3.	श्री प्रहलाद सिंह	18.11.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्र०सं०	पैरा संख्या	गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.3	बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	0.09
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	46.78
3.	7.1	पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे।	0.76
4.	7.2	विवाह पंजीकरण के विलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि	0.05
5.	8.2	रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.65
6.	8.3	GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि।	0.30
7.	9.1	मस्ट्रोनों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे	1.37
8.	9.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय।	1.76
9.	9.3	सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे	1.42
10.	9.4	14वां वित्त आयोग से अनुचित /अनियमित भुगतान करने बारे	0.09
11.	10.3	प्रियासॉफ्ट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर	1.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि०प्र०) से सम्बन्धित गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024- 25/01 दिनांक 19-03-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। तदोपरान्त पुन अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/02 दिनांक 25-05-2024 द्वारा अवगत करवाया गया। जिसका कोई प्रत्युत्तर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार से गत अंकेक्षण प्रतिवेदन का उपलब्ध न होना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है एवं गत अंकेक्षण के पैरों पर कोई

भी कार्यवाही न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है; अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन को उचित स्त्रोत से प्राप्त करने उपरान्त इसमें शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये। पंचायत के गत अंकेक्षण प्रतिवेदन को मुख्यालय से प्राप्त करने व वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2018 3/2019

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
2.	4	-----	
3.	4.2	अनिर्णीत	
4.	4.3	अनिर्णीत	
5.	5	अनिर्णीत	
6.	6	अनिर्णीत	
7.	7	अनिर्णीत	
8.	7.1	अनिर्णीत	
9.	7.2	अनिर्णीत	
10	8	अनिर्णीत	
11	10	अनिर्णीत	
12	9	अनिर्णीत	
13	10	अनिर्णीत	
14	11	अनिर्णीत	
15	12	अनिर्णीत	

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18-05-2024 से 26-05-2024 तक ग्राम पंचायत उलांसा के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु

आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	09/2022	06/2022
2.	2023-2024	04/2023	05/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-22 से 31-03-24 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/ GP ULANSA/10 दिनांक:-25.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत उलांसा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 (क) स्व:-स्त्रोत व अनुदान :-

ग्राम पंचायत उलांसा के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है:-

(i) स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	286993	41696	328689	27647	301042
2023-24	301042	877526	1178568	278310	900258

(ii) अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	5433581	5850345.78	11283926.78	4273861.78	7010065
2023-24	7010065	4524607.67	11534672.67	6855718.67	4678954

कुल योग (i + ii) = ₹900258 + 4678954 = ₹ 5579212

(ख) ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा (हि०प्र०)

दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा	अनुदान का नाम	राशि (₹)
1	18410100463,	HPSCB GAROLA	5TH SFC /SF/MMGPY/NMN R/VKVNY/LADA	1108975
2	50100313556369,	HDFC BHARMOUR	15TH FC	4152215
3	50100064497171,	HDFC BHARMOUR	SBM	308457
4	50100315141815,	HDFC BHARMOUR	14TH FC	779
		Cash in hand		0
			Total	5570426

अन्तर (क-ख) ₹ 5579212 – 5570426 ₹ 8786

- 4.2 उपरोक्त वर्णित वित्तीय स्थिति के अनुसार रोकड़ बही व बैंक पासबुक में दिनांक 31-03-2024 को राशि ₹8786.00 का अन्तर ग्राम पंचायत द्वारा मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण था।

4.3 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹0.09 लाख का अन्तर पाया जाना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत उलांसा द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तःशेष में ₹8786.00 का अन्तर है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/09 दिनांक 25.05.2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है। ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अतः भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹46.78 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा "परिशिष्ट - 3" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹4678954.00 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/09 दिनांक 25.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.76 लाख की वसूली न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पत्ति कर की वार्षिक मांग व गत वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत

परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित ₹76000/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

31-03-2024 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

क्र० स०	वित्तीय वर्ष	अथशेष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर प्रति /परिवार	वर्ष के दौरान माँग	कुल योग	वर्ष के दौरान वसूली	वसूली हेतु शेष बकाया राशि
1	2022-23	62125	485	25	12125	74250	12000	62250
2	2023-24	62250	550	25	13750	76000	0	76000

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/03 दिनांक 22-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पत्ति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹5175/-की वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) तदोपरान्त ₹400 (30 से 90 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹50 (30 से 90 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** अनुसार उक्त पंचायत सचिव द्वारा वर्ष 2022-23, 2023-24 के विवाह पंजीकरण शुल्क की व बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण सरकार को राशि ₹5175/- की

वित्तीय हानि हुई। तथा विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अध्याचना संख्या-09 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

7.3 पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर की कम्पनी से वार्षिक शुल्क की बकाया वसूली न करने के कारण ₹0.02 लाख :-

प्रधान सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जारी अधिसूचना संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.) 96 दिनांक 21 जून 2017 के पैरा 3.4 के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल टावर की स्थापना पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को ₹4000 से बढ़ाकर ₹10000 स्थापना शुल्क एवम प्रतिवर्ष ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 नवीनीकरण शुल्क प्राप्त करने का अधिकार है। पैरा 3.4 (ii) के अनुसार हर 5 साल के पूरा होने पर नवीनीकरण शुल्क में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा 3.4 (iv) के अनुसार कोई भी मोबाइल टावर कम्पनी यदि अतिरिक्त अन्टेना किसी स्थापित टावर पर लगाएगी तो उसे वार्षिक शुल्क का 60% नवीनीकरण देना होगा।

इसके अतिरिक्त पैरा 3.4 (vi) के अनुसार यदि कोई मोबाइल टावर कम्पनी नोटिस की तिथि से 30 दिन के अंदर शुल्क नहीं चुकाती है तो उसे प्रति सप्ताह 5% दंड शुल्क भी चुकाना होगा परन्तु यदि लम्बित राशि नोटिस की तिथि से दो माह तक भी नहीं चुकाई जाती है तो ग्राम पंचायत सम्बन्धित कम्पनी की अनुमति रद्द करने बारे नोटिस जारी कर सकती है।

ग्राम पंचायत उलांसा विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा के अभिलेखों की जांच एवम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गयी जानकारी के अनुसार तथा वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित ग्राम पंचायत द्वारा बकाया स्थापना शुल्क तथा वार्षिक शुल्क अभी तक नहीं वसूला गया है जिसका विवरण निम्न दिया गया है :-

Years	Op.Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	Closing Balance
2022-23	2500	0	2500	0	2500
2023-24	2500	0	2500	0	2500

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि तक उपरोक्त कम्पनी से नवीनीकरण शुल्क के रूप में ₹2500 प्राप्त करना शेष था। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वार्षिक शुल्क लेने के लिए मोबाइल कम्पनी को लिखित मांग पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी करना चाहिए था परन्तु अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाइल कम्पनी को शुल्क लेने के लिए कोई मांग पत्र / नोटिस जारी नहीं किया गया था, जोकि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा मांग व संग्रहण रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था। अतः मोबाइल टावर फीस नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है की पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवम कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं थी जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 09 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी अतः उक्त की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सिकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान तकनीकी सहायक वह कनिष्ठ अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.65 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोर्टेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म,XY-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत उलांसा, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अनापति प्रमाण पत्र/ X-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹65187/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट “ 5 ” में दिया गया है।) की संभावित वित्तीय हानि हुई है।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/04 दिनांक 02.05.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि “उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।”

अतः पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लायर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अतः भविष्य में अनापति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान में रॉयल्टी न काटे जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.30 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 हेतु निविदा स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹600521.90 का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "5" में दिया गया है।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है। तथा न ही पंचायत द्वारा किसी भी तरह के GST को सरकारी खजाने में जमा करने सम्बंधित चालान अंकेक्षण को प्रस्तुत किये गये जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹30026/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/04 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST की कटौती आपूर्तिकर्ताओं से वसूल कर ली जाएगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जिसे न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया। यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णतः नकारा जा सके।

8.5 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत उलांसा के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹1.37 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत उलांसा के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतर्कर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।
2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।
3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

मस्टरोल संख्या	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या /दिनांक	राशि	विवरण	मद	कार्य का नाम
10707	05/4.06.22	39537	LABOURUR PAYMENT	14TH FC	PANIHARA NIRMAAN LOWER MAJHAAT
10708	07/8.06.22	97500	LABOURUR PAYMENT	14TH FC	C/O PATH PARONDI TO TAPPA
	Total	137037			

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 08 दिनांक 25.05.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹1.76 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, (Tenders) कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है। तथा इसके अतिरिक्त पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत उलांसा द्वारा राशि ₹176238/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

क्र० सं	वाउचर संख्या /दिनांक	निधि का नाम	विवरण	मद का विवरण	राशि (₹)
1	02/31.05.22	14TH FC	MS MANI RAM	CLOTH	2700
2	09/09.06.22	14TH FC	S.N & SONS PO ULANSA	STONE	132000
3	10/13.06.22	14TH FC	S.N & SONS PO ULANSA	CARRIAGE	8000
4	01/12.04.22	SF	M/S MANIMAHESH PRINTING PRESS	STATIONARY PURCHASE	10410
5	24/16.02.23	NMNR	RK STEEL INDUSTRY CHAMBA	DUSTBIN PURCHASE	23128
				TOTAL	176238

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 05 दिनांक 25-05-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.3 राशि ₹1.42 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्ट्रों का संधारण नियमानुसार न करने बारे
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है, परिदान के समय, उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

इस संदर्भ मद अंकेक्षण अधियाचना संख्या-GP ULANSA/09, दिनांक :-25-05-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।" अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

अतः जिसकी प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित निधि में जमा करवाकर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वित्तीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-09 दिनांक 25-05-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़ बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़ बहियों को पंचायत अभिलेख में रख लिया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला, DPO 5th स्टेज व Sfc का पंचायत द्वारा स्व-स्त्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जिस कारण निकुलस मद से राशि ₹3120.00 की राशि का भुगतान सभा निधि से किया गया जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 09 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा व निकुलस मद पर व्यय राशि की प्रतिपूर्ति करके सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹1.02 लाख के अन्तर बारे :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-PANCHAYAT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० कर रहा है इस योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत E-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेयर में बनाये गए थे वह मैनुअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिनांक 31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि 102284.00 का अन्तर पाया गया

31-03-2024 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

31-03-2024 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष 5681496

31-03-2024 को पंचायत द्वारा मैनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष 5579212

अन्तर 102284

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अध्याचना संख्या SAD/CBA/RK/2024-25/GP ULANSA/09 दिनांक

25.05.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है।

अतः दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे तथा विभिन्न अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
7.	तकनीकी जाँच पड़तालें और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए व बी
9.	mnrega के अंतर्गत सामग्री हेतु FTOs		

इस बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या-09, दिनांक 25.05.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि " भविष्य में विहित रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.5 पंचायत द्वारा ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अभिलेख जैसे ट्रायल बैलेंस ,बैलेंस शीट ,प्राप्ति एव भुगतान इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण इस विभाग के ऑडिट कोड में वर्णित पंचायत के उक्त अभिलेखों को प्रमाणित नहीं क्या जा सका।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अध्याचना संख्या 09 दिनांक 25-05-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत उलांसा द्वारा सूचित किया कि, पंचायत उक्त अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त अभिलेखों को वर्तमान में प्रस्तुत करना था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत उलांसा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. लघु आपत्ति विवरणिका:- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्यवाही न करके वित्तीय व विविध अनियमिततायें की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

ETL

(कृष्ण लाल नेगी)

सहायक निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009 *er*

दूरभाष-0177-2626670

3532-3536 *का०/७०* 20 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 45/2020 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत उल्लांस, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JUL 2024

कृष्ण लाल नेगी
(कृष्ण लाल नेगी) 19/7

सहायक निदेशक

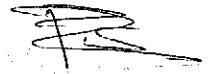
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग

शिमला-171009 *er*

दूरभाष-0177-2626670

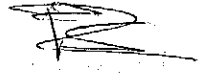
का०/७०

Financial Position of Own Sources in r/o			" GP ULANSA "	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba H.P
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	286993	41696	328689	27647	301042
2023-24	301042	877526	1178568	278310	900258



परिशिष्ट-२ पैरा संख्या ५.१(ब)(ii) के संदर्भ में

Financial Position of Grant in Aid in r/o GP ULANSA D.B Bharmour Tehsil Bharmour Distt Chamba H.P					
Year	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
2022-23	5433581	5850345.78	11283926.78	4273861.78	7010065
2023-24	7010065	4524607.67	11534672.67	6855718.67	4678954



Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP ULANSA"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba HP	Year Ended	2022-23
Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Total	Expenditure	Closing Balance
1	5TH SFC	10000	265736	275736	249300	26436
2	14TH FC	1814779	73295	1888074	1044543	843531
3	15TH FC	2893244	1570780	4464024	82810	4381214
4	MNREGA	0	2170279.78	2170279.78	2170279.78	0
5	LADA	110000	821440	931440	411631	519809
6	NMNR	0	910000	910000	315298	594702
7	VKVNY	25000	30000	55000	0	55000
8	SBM	290558	8815	299373	0	299373
9	MMGPY	260000	0	260000	0	260000
10	NRHM	30000	0	30000	0	30000
	Total	5433581	5850345.78	11283926.78	4273861.78	7010065
Grant in aid in r/o Gram Panchayat		" GP ULANSA"	Dev. Block Bharmour	Distt Chamba	Year Ended	2023-24
1	5TH SFC	26436	322923	349359	517574	-168215
2	14TH FC	843531	7924	851455	851095	360
3	15TH FC	4381214	270842	4652056	499841	4152215
4	MNREGA	0	3533834.67	3533834.67	3533834.67	0
5	LADA	519809	120000	639809	631542	8267
6	NMNR	594702	0	594702	248176	346526
7	VKVNY	55000	0	55000	53838	1162
8	SBM	299373	9084	308457	0	308457
9	MMGPY	260000	260000	520000	519818	182
10	NRHM	30000	0	30000	0	30000
	Total	7010065	4524607.67	11534672.67	6855718.67	4678954
	Balance as Per Bank on 31.03.24					
	A/c No	Branch	Head			
1	18410100463,	HPSCB GAROLA	5TH SFC /SF/MMGPY/NMNR/VKVNY/LADA			1108925
2	50100313556369,	HDFC BHARMOUR	15TH FC			4152215
3	50100064497171,	HDFC BHARMOUR	SBM			308457
4	50100315141815,	HDFC BHARMOUR	14TH FC			779
		Cash In Hand				0
	Total					5570426
	Balance as Per Cash Book on 31.03.24					
1	Cash Book Balance on 31.03.2024	(Own Source)				900258
2	Cash Book Balance on 31.03.2024	5TH SFC				-168215
3	Cash Book Balance on 31.03.2024	14TH FC				360
4	Cash Book Balance on 31.03.2024	15TH FC				4152215
5	Cash Book Balance on 31.03.2024	MNREGA				0
6	Cash Book Balance on 31.03.2024	LADA				8267
7	Cash Book Balance on 31.03.2024	NMNR				346526
8	Cash Book Balance on 31.03.2024	VKVNY				1162
9	Cash Book Balance on 31.03.2024	SBM				308457
10	Cash Book Balance on 31.03.2024	MMGPY				182
11	Cash Book Balance on 31.03.2024	NRHM				30000
				Total		5579212
				Diffrence		8786
Note:-1. Online cash book (e gram sawraj) not produced in audit						
2. Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book						
3. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book						
4. Mnrega cash book not produced so income and expenditure taken from mnrega financial position						

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत उलांसा

क्र संख्या	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	सरकारी कोष में जमा न की गई राशी
1	1	अमरजीत सिंह	31/01/2012	14/02/2022	25.00	25.00	25.00
2	2	अंकुश कुमार	20/02/2022	05/03/202	200.00	200.00	25.00
3	3	नीतिश कुमार	20/04/2022	02/05/2022	25.00	25.00	25.00
4	4	सतीश कुमार	20/04/2022	02/05/2022	25.00	25.00	25.00
5	5	ओमप्रकाश	09/05/2022	23/05/2022	25.00	25.00	25.00
6	6	किरण देवी	21/06/2022	12/07/2022	25.00	25.00	25.00
7	7	किरण देवी /नीरज	09/05/202	12/07/2022	400.00	400.00	400.00
8	8	पिंकी देवी /लक्की	09/05/2022	12/07/2022	400.00	400.00	400.00
9	9	मधुवाला पुत्री गुलाब	20/07/2022	03/08/2022	25.00	25.00	25.00
10	10	कुलदीप कुमार	18/07/2022	10/08/2022	25.00	25.00	25.00
11	11	श्रेष्ठ देवी पुत्री धर्म चंद	30/07/2022	10/08/2022	25.00	25.00	25.00
12	12	जर्म सिंह	30/07/2022	16/08/2022	25.00	25.00	25.00
13	13	टेक चंद	05/08/2022	16/08/2022	25.00	25.00	25.00
14	14	रंजना देवी पुत्री मदन	03/08/2022	16/08/2022	25.00	25.00	25.00
15	15	रजनी देवी पुत्री कृष्ण	15/08/2022	17/08/2022	25.00	25.00	25.00
16	16	अनिल कुमार	28/07/2022	09/09/2022	200.00	200.00	200.00
17	17	सुनीता देवी पुत्री परस राम	15/08/2022	09/09/2022	25.00	25.00	25.00
18	18	राजू राम पुत्र जालम	20/07/2022	10/10/2022	200.00	200.00	200.00
19	19	भारती पुत्री त्रिलोक	26/09/2022	10/10/2022	25.00	25.00	25.00
20	20	आरती पुत्री नरोत्तम	26/09/2022	10/10/2022	25.00	25.00	25.00
21	21	वीना देवी	26/09/2022	10/10/2022	25.00	25.00	25.00
22	22	जनक राज	02/12/2022	12/07/2022	25.00	25.00	25.00
23	23	राकेश कुमार	04/12/2022	12/12/2022	25.00	25.00	25.00
24	24	कृष्ण चंद	15/12/2022	23/12/2022	25.00	25.00	25.00
			2023-2024				
1	1	सुनीत कुमार	20/01/2023	27/01/2023	25.00	25.00	25.00
2	2	नेहा देवी	15/01/2023	28/01/2023	25.00	25.00	25.00
3	3	रेनू देवी	21/02/2023	08/03/2023	200.00	200.00	200.00
4	4	शिवानी देवी	18/02/2023	08/03/2023	200.00	200.00	200.00
5	5	पूजा देवी	22/02/2023	15/03/2023	25.00	25.00	25.00
6	6	रीता देवी	09/03/2023	03/04/2023	25.00	25.00	25.00
7	7	चंद कुमार पुत्र जर्म सिंह	09/03/2023	03/04/2023	25.00	25.00	25.00

शादी पंजीकरण शुल्क ग्राम पंचायत उलांसा

8	8	शक्ति प्रसाद	10/05/2023	10/06/2023	25.00	25.00	25.00
9	9	तमना पुत्री विक्रम जीत	26/06/2023/	19/07/2023	25.00	25.00	25.00
10	10	मुनीष कुमार	10/05/2023	01/08/2023	50.00	50.00	50.00
11	11	अमित शर्मा	27/06/2023	01/08/202/3	400.00	400.00	400.00
12	12	अभिषेक कुमार	23/06/2023	01/08/2023	50.00	50.00	50.00
13	13	सरवन शर्मा	23/06/2023	01/08/2023	50.00	50.00	50.00
14	14	राहुल कुमार पुत्र सुरेश	23/06/2023	01/08/2023	50.00	50.00	50.00
15	15	मुनीष कुमार	22/10/2023	08/11/2023	50	50	50
16	16	आरती पुत्री प्रीतम	06/11/2023	20/11/2023	50	50	50
17	17	अजय कुमार	24/09/2023	06/12/2023	400.00	400.00	400.00
18	18	ओम राज	25/09/2023	06/12/2023	400.00	400.00	400.00
19	19	किशन चंद	01/11/2023	16/12/2023	200.00	200.00	200.00
20	20	रविंदर अत्री	29/11/2023	28/12/2023	200.00	200.00	200.00
21	21	शशि पाल	15/12/2023	10/01/2024	200.00	200.00	200.00
22	01(2024)	रोहित कुमार	04/02/2024	13/02/2024	200.00	200.00	200.00
23	02	विपन कुमार	08/01/2024	06/03/2024	200.00	200.00	200.00
24	03	ददी नन्द	08/01/2024	06/03/2024	400.00	400.00	400.00
						Total	5175

2018

01-04-2022 TO 31-03-2024

✓

1. All Figures are taken up to 2 Decimal

2 A. From Square Feet to Cubic Meter M3

35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter (M³)

3 B. From Cubic Meter (M^3) to Tonne

One Cubic Meter (M³) SandOne Cubic Meter (M^3) Aggregate

One Cubic Meter (M^3) Stone

4 All items Sand, Stone & Aggre. average weight at 0 unless otherwise stated.
 4.1 Inclusive of all Taxes but it is not cleared whether it is

5 As per quotation terms and condition Kate are inclusive on our terms

